राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को **संरक्षित करने और बढ़ावा देने** के लिये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) की स्थापना की है।

NMCM क्या है?

- **परिचय: संस्कृति मंत्रालय** द्वारा वर्ष **2017** में लॉन्च किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भारत का सांस्कृतिक मानचित्र** बनाना, इसकी **विविधता** को उजागर करना और **कलाकार समुदाय** का समर्थन करना है।
  - सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्वों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें **कहानियाँ, अनुष्ठान, कला, भाषाएँ, विरासत और व्यंजन** शामिल हैं, तथा **मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों** का दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - **भारत की सांस्कृतिक संपदा** का दस्तावेज़ीकरण।
  - **गाँवों में आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक क्षमता का उपयोग करना।
  - **विरासत, विकास और पहचान** के बीच संबंध पर प्रकाश डालना।
- **कवरेज:** मिशन का उद्देश्य भारत के **6.5 लाख गाँवों** की **भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक पूंजी** का मानचित्रण करना है, जिसमें **4.5 लाख** गाँव पहले से ही **शामिल** हैं।
- **मिशन घटक:**
  - **सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम:** हमारी संस्कृति हमारी पहचान की तरह।
  - **कलाकारों का वर्गीकरण : कलाकारों के लिये विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान (UCID)** की शुरुआत।
  - **सांस्कृतिक अवसंरचना : सांस्कृतिक केंद्रों (कला ग्राम) का विकास** और ज्ञान केंद्रों का एकीकरण।
  - **कलाकार कल्याण : कलाकारों**, विशेषकर वरिष्ठ कलाकारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और **अनुदान लागू करना।**
- **कार्यान्वयन:** NMCM का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के तहत किया जाता है।
- **मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD):** MGMD को भारत के **6.5 लाख गाँवों** की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये शुरू किया गया था।
  - MGMD के अंतर्गत **सात व्यापक श्रेणियों** जैसे **कला एवं शिल्प गाँव, पारिस्थितिकी उन्मुख गाँव आदि** में जानकारी एकत्र की जाती है।

सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलें

- **गुरु-शिष्य परंपरा योजना:** संस्कृति मंत्रालय **'गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रिपर्टरी अनुदान)' योजना** का संचालन करती है, जिसके तहत गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि में **कलाकारों को प्रशिक्षण देने** के लिये सांस्कृतिक संगठनों को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- **सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (CPA):** जुलाई 2024 में अमेरिका के साथ एक CPA पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे चोरी की गई **प्राचीन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति सरल** हो जाएगी।
- **अडॉप्ट हेरिटेज 2.0:** संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत **CSR फंड का उपयोग कर संरक्षित स्मारकों** में सुविधाएँ विकसित करने हेतु **निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग** की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - सुविधाओं को **चार व्यापक श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है:
    - स्वच्छता (शौचालय, पेयजल, आदि)
    - सुगम्यता (बैटरी चालित वाहन, साइनेज, आदि)
    - सुरक्षा (सी.सी.टी.वी., प्रकाश व्यवस्था आदि)
    - ज्ञान (सांस्कृतिक/लाइट और साउंड शो, AR/VR उपकरण, आदि)।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-mission-on-cultural-mapping-1